


प0स0-3/23/2015-स्मा0  
भारत सरकार  
कार्यालय अधीक्षण पुरातत्वविद्  
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण  
आगरा मण्डल, 22 माल रोड, आगरा

नोटिस

दिनांक:

23 FEB 2018

ताजमहल की सुरक्षा को देखते हुये केन्द्रीय सुरक्षा एजेन्सी के सुझाव पर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, 24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली के आदेशानुसार दिनांक 25.02.2018 से ताजमहल के दक्षिणी द्वार से प्रवेश बन्द किया जाता है तथा यह द्वार केवल पर्यटकों की निकासी के लिए प्रयुक्त होगा।

  
अधीक्षण पुरातत्वविद्

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, 24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली।
2. मण्डलायुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
3. जिलाधिकारी, आगरा।
4. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा।
6. निदेशक(स्मारक), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, 24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली।
7. कमाण्डेंट, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इकाई ताजमहल, आगरा।
8. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, आगरा।
9. नगर आयुक्त, नगर निगम आगरा।
10. क्षेत्राधिकारी, ताज सुरक्षा, आगरा।
11. उप अधीक्षण उद्यानविद्, भा0पु0सर्वे0, उद्यान शाखा, पूर्वीद्वार ताजमहल, आगरा।
12. क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर प्रदेश पर्यटन, 64 ताज रोड, आगरा।
13. सम्पादक, दैनिक जागरण/हिन्दुस्तान/अमर उजाला/सी एक्सप्रेस/डीएलए
14. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई, आगरा
15. क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी, उत्तर प्रदेश पुरातत्व, सकेत कालोनी, शाहगंज, आगरा।
16. सचिव, टुरिजिम गल्ड, होटल क्लार्क सिराज, आगरा
17. अध्यक्ष, आई.ए.टी.ओ., ट्रेवल ब्यरो, गेटवे होटल के निकट, फतेहाबाद रोड, आगरा।
18. संरक्षण सहायक, उपमण्डल ताजमहल को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त सूचना को दक्षिणी द्वार पर प्रवेश निषिद्ध का बोर्ड लगाकर कर छायाचित्र सहित कार्यालय में प्रस्तुत करें।